: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक/472 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

:: आ दे श ::

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144)

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र0 ECI/PN/23/2019 दिनांक 10/03/2019 द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2019 हेतु कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर से प्राप्त जानकारी तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद, राजनितिक कार्यकलापों में सक्रियता बढ़ गई है । राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं/अनुबंधित संस्थाओं/व्यक्ति में आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन को विनिमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलुस प्रतिषिद्ध किये जाने की आवश्यकता बताई गई है ।

प्राप्त सूचना, जानकारी का मनन मेरे द्वारा किया गया । मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि इन्दौर जिले में लोक सभा निर्वाचन-2019 के दौरान लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने के लिए अविलम्ब उपाय कर, निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः मैं, **लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करता हूँ :-

1. यह कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति इन्दौर जिले के पूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जावेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा । यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ि, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है ।
2. यह कि इस अवधि के दौरान इन्दौर जिले में प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठ्न, व्यक्ति बिना अनुमति किसी भी प्रकार की वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकालेगा । इसी प्रकार जुलुस आदि के लिए भी विधिवत् अनुमति सक्षम कार्यपालिक दण्डाधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा ।
3. यह कि कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करे ।
4. यह कि कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा । इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया जाता है ।
5. यह कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा,

District Magistrate
District Indore (M. P.)

पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग होने की संभावना हो सकती है । और न ही ऐसे किसी मैसेज को सोशल मिडिया पर भेजा जावेंगा ।

6. यह कि लोक सभा निर्वाचन–2019 के मतदान तिथि पर मतदान स्थल (केन्द्र) पर तथा मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल पर परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के फोन या डिवाईस का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के फोन या डिवाईस को उपयोग हेतु रख सकेगा ।

7. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/परिपत्रों का अनुपालन करेंगा, जो कि निर्वाचन को शांतिपूर्ण सम्पन्न किये जाने हेतु जारी किए गए ।

8. यह कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा/आमसभा हेतु शहरी क्षेत्र में संबंधित एस0डी0एम0/ए0डी0एम0 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता सन्तुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्तियों एवं पुलिस कर्मियों, अत्यावश्यक सेवाओं के सेवकों पर लागू नहीं होगा । यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

यह आदेश आज दिनांक 10/03/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(लोकेश कुमार जाटव)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक/ 473 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 — इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
12. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /कनाड़िया/ भिचौली हप्सी/खुड़ैल/डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/सांवेर/देपालपुर ।
15. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
19. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M. P.)